न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-61/2014

चुन्नीलाल पुत्र स्व0 डूंगाराम जाति नाई निवासी केहरपुरा खुर्द तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- भगवती स्त्री } स्व0 मालीराम जाति नाई निवासी केहरपुरा खुर्द
2- सिलोचना पुत्री } तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

3- तहसीलदार चिडावा जिला झुन्झुनू ।

4- दलवीरसिंह पुत्र रामकिशन जाति नाई निवासी खानपुर खुर्द तहसील मातनहेल जिला झज्जर {हरियाणा}

5- प्रेमसिंह पुत्र रणधीरसिंह जाति जाट निवासी झोजूकला तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी {हरियाणा}

6- प्रवीणकुमार पुत्र सज्जनसिंह जाति जाट निवासी भामरवासी तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

---रेस्पपेडेन्टस---

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 26-7-2007 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी चिडावा ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री राजेश पूनिया एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री द्वारकाप्रसाद शर्मा एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

3-श्री परवेशकुमार एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 3.4.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

संक्षिप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 का पति/पिता मालीराम ने अदालत मातहत में दावा बाबत घोषणार्थ विभाजन का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम केहरपुरा खुर्द की सरहद में आराजी खसरा नं0 115 रकबा 1.75 हैक्टर, ख0नं0 118 रकबा 1.86 हैक्टर, ख0नं0 225 रकबा 0.04 हैक्टर, ख0नं0 237 रकबा 0.56 हैक्टर, ख0नं0 200 रकबा 1.12 हैक्टर, ख0नं0 404 रकबा 0.13 हैक्टर, ख0नं0 405 रकबा 0.60 हैक्टर कुल किता-7 रकबा 5.86 हैक्टर की खातेदारी वादी मालीराम व प्रतिवादी चून्नीलाल के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। जिसको करीब 30 वर्षो से दो हिस्सो में बांट कर काश्त करते आ रहे हैं। जिसमें बंटवारे के अनुसार वादी के ख0नं0 115 रकबा 1.75 हैक्टर, ख0नं0 225 रकबा 0.04 हैक्टर, ख0नं0 240 रकबा 1.12 हैक्टर कुल किता-3 रकबा 2.91 हैक्टर तथा प्रतिवादी सं0-1 चुन्नीलाल के ख0नं0 118 रकबा 1.66 हैक्टर, ख0नं0 0237 रकबा 0.56 हैक्टर, ख0नं0 404 रकबा 0.13 हैक्टर, ख0नं0 405 रकबा 0.60 हैक्टर कुल किता-4 रकबा 2.95 हैक्टर हिस्से में आई है। वादी अपने हिस्से में आई आराजी ख0नं0 240 में आबादी है जिस पर बिना रोक टोक के निवास करता आ रहा है। वादी ने अपने हिस्से में आई आराजी को काफी पैसा खर्च कर विकसीत किया है। प्रतिवादी इस आराजी को बंटवारा कराने के लिये कहा तो मना कर दिया। जिस पर यह दावा पेश किया गया। अदालत मातहत ने दावा स्वीकार कर डिक्री कर दिया। जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील अपील निम्न आधारो पर पेश की है।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। तहसीलदार चिड़ावा ने आदेशो की पालना न कर विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों की मौजूदगी में नहीं बनाये जबकि विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों की मौजूदगी में बनाये जाने के निर्देश थे। विभाजन प्रस्ताव में ख0नं0 405 रकबा 0.60 हैक्टर अपीलांट के हिस्से में दर्शित की गई है जिसमें नीचे लिख दिया ख0नं0 405 रकबा 0.60 हैक्टर पर कब्जा कुरड़ाराम मदन व सुरेश का है। वादी मालीराम ने अदालत मातहत में एक गलत प्रार्थना पत्र पेश कर अपनी मर्जी के अनुसार डिक्री प्राप्त

सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अदालत मातहत ने विभाजन प्रस्ताव के आधार पर ही अन्तिम डिक्री पारित कर दी जो विभाजन प्रस्ताव से हटकर है ।अर्थात विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री पारित नहीं की है। अदालत मातहत ने अन्तिम डिक्री मे लिखा हैं । विभाजन प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा जबकि डिक्री विभाजन प्रस्ताव के अनुसार नहीं है । चुन्नीलाल ने उक्त आराजी को रेस्पोडेन्ट सं0-4 व 5 को ख0नं0 115 रकबा 1.47 हैक्टर का बैचान कर दिया । अपीलान्ट को निर्णय के समय सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला जिस पर निर्णय की जानकारी नहीं हुई । अपीलान्ट दिनांक 13-9-2014 को अपने हिस्से की आराजी पर ऋण लेने के लिये पटवारी हल्का से चालू जमाबन्दी की नकल ली तब पटवारी ने इस भूमि के बंटवारा बाबत बताया तब निर्णय की जानकारी होने पर दिनांक 15-9-14 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल 16-9-14 को मिली जिस पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का आदेश एवं प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री को निरस्त किया ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2062 से 2065 में आराजी ख0नं0 115 रकबा 1.75 हैक्टर ख0नं0 118 रकबा 1.66 हैक्टर कुल किता-2 रकबा 3.41 हैक्टर की खातेदारी चून्नीलाल, मालीराम पि0 डूंगाराम जाति नाई के नाम दर्ज है । ख0नं0 225, 237, 240, 404, 405 कुल किता-5 रकबा 2.45 हैक्टर की खातेदारी मालीराम पु0 डूंगाराम हि0 1/2 चून्नीलाल पु0 डूंगाराम हि0 1/2 के नाम दर्ज है । बंटवारा प्रस्ताव में 2.95 हैक्टर भूमि अपीलान्ट चून्नीलाल को तथा 2.91 हैक्टर मालीराम(रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 के पति/पिता) को दी गई है ।जमाबन्दी में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन किया गया है । अपीलान्ट ने विभाजन में कोई

सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व

त्रुटि न बताकर केवल यह कह दिया कि विभाजन प्रस्ताव में नीचे नोट लगाया है जिसमें ख0नं0 405 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि पर हमारे ताऊ के पुत्र कुरडाराम, मदन सुरेश पि0 प्रहलाद काबिज है ।उक्त खसरा नम्बर को इनके ही कब्जा का बताया है ।दावे में इस बाबत कोई सहायता बेदखली की नहीं चाही गई है । दावा बंटवारा का है जिसमें 1/2, 1/2 के अनुसार बंटवारा किया गया है । अपीलान्ट का यह कथन कि उन्हे सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। यह भी मानने योग्य नहीं है क्योंकि चून्नीलाल के नोटिस स्वयं पर तामिल हुये हैं । अगर फर्जी तामिल है तो इस बाबत कोई मुकदमा दर्ज करना भी सामने नहीं आया है ।मौके पर विभाजन प्रस्ताव आने के बाद प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी की है इस प्रकार अदालत मातहत के निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी चिडावा का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 16-6-2007 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 26-7-2007 यथावत रखा जाता है । दोनो अपीलों का निर्णय एक साथ किया गया है । अतः अपील संख्या-62/2014 में निर्णय की एक प्रति संलग्न की जावे ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 3.4.2018 को सुनाया गया ।

3/4/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

डिक्री वर्सिंग अपील
(आर्डर 41 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत - भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर।

इजलास - श्री भंवरलाल मेहरड़ा आर०ए०एस०

चून्नीलाल पुत्र स्व० डूंगाराम जाति नाई निवासी केहरपुरा खुर्द तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू। ---अपीलान्ट---

--बनाम--

1- भगवती स्त्री स्व० मालीराम जाति नाई निवासी केहरपुरा खुर्द तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू आदि । --रेस्पोडेन्टस्--

नोट- उनवान संलग्न है-

अपील नम्बर 61 सन् 2014 बनाराजगी डिक्री अदालत - उप खण्ड अधिकारी चिडावा

मुकाम - दिनांक 16 माह 6 सन् 2007
26 7 2007

-दावा बाबत -

यह अपील व तारीख .... हब्स हमारे व हाजिर श्री राजेश पूनिया .... मिनजानिब अपीलान्टस् व हाजिर श्री द्वारकाप्रसाद शर्मा .... मिनजानिब रेस्पोडेन्टस् समाहत के लिये हुक्म हुआ कि अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी चिडावा का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 16-6-2007 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 26-7-2007 यथावत रखा जाता है ।

खर्चा फरीकैन हस्व तकसीत वादाबी युबलिग ....xxx............. रुपये अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का .....xxx............... रुपया अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारिख .... को जारी की गई।

दस्तखत -
ओहदा - भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपीलार्थीगण	रुपये पैसे	गैर अपीलार्थीगण	रुपये पैसे
1- स्टाम्प अपील		1- स्टाम्प वकालतनामा	
2- स्टाम्प वकालतनामा		2- स्टाम्प अर्जी	
3- इजराय हुक्मनामा		3- इजराय हुक्मनामा	
4- तलबाना मुतफुरकात		4- मुतफुरकात	
5- मिजान		5- मिजान	
योग		योग	

दस्तखत - भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं